देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/rtiexpose/01 E-Newsletter, Issued in Public Interest बुधवार, 8 जनवरी 2020

जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार चरम पर;दोषी कर्मचारियों ने की खुद की जांच,बड़े अधिकारियों ने लगायी जांच पर मोहर|

जगदम्बा नगर-ए का मामला ,पार्ट-4

जे.डी.ए. ज़ोन पीआरएन उत्तर में स्थित जगदम्बा नगर ए में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश के बावजूद पट्टे बांटने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जाँच कर,आवश्यक विधिक कार्यवाही करने की थी शिकायत

हमारे द्वारा पूर्व में इस मामले को प्रमुखता से उठाने पर आयुक्त महोदय द्वारा इस शिकायत को दिनांक 27/09/2019 को DTS प्रकरण संख्या 96682 के रूप में दर्ज कर समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के आदेश दिए गए थे|

आयुक्त से जांच पहुची दोषी कर्मचारियों के हाथों में|

आम आदमी की शिकायत पर कार्यवाही का जो ढर्रा सरकारी दफ्तरों में चलता आया है वहीं ढर्रा हमारी इस शिकायत पर भी लागू हुआ|हमारी शिकायत आयुक्त महोदय श्री टी. रविकांत से होते हुए सचिव श्रीमति अर्चना सिंह के पास पहुंची,जिसे उनके द्वारा अतिरिक्त आयुक्त(पीआरएन) श्री अवधेश सिंह को भेजी गयी,उनके द्वारा भी इस शिकायत को उपायुक्त पीआरएन उत्तर-|| श्री बलवंत सिंह लिग्री को भेज दी गयी|यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, श्री लिग्री द्वारा यह मामला तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए उन्ही अधिकारियों के पास भेज दिया जो गलत पट्टे बांटने के दोषी है|उनके द्वारा यह शिकायत ज़ोन के अमीन श्री बी.एल. मेहरा और तहसीलदार श्री किशन लाल मीणा को सौंपी गयी|गौरतलब है कि श्री किशन मीणा ही इस मामले के मास्टर माइंड है|

तहसीलदार और अमीन की रिपोर्ट

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय :– जेडीए जोन पीआरएन उत्तर द्वितीय में स्थित जगदम्बा ... विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश के बावजूद पट्टे जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने, जारी किये गये पट्टो को निरस्त करने एवं भविष्य में स्टे शुदा जमीन पर केस के निस्तारण तक ... नही लगाने बाबत्।

संदर्भ :– डीटीएस क्रमांक 96682 दिनांक 27.09.2019 के क्रम में बिन्दुवार जवाब

1. जेडीए जोन पीआरएन उत्तर द्वितीय में स्थित अपोलो नगर को0 हो0 सो0 लि0 की योजना जगदम्बा नगर ए स्कीम में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश की सुचना जोन को उपलब्ध होने से वर्तमान में इस योजना में लीजडीड जारी नही की जा रही है।
2. खसरा नम्बर 108 एवं 117 पर अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर का स्थगन की प्रति जोन में प्राप्त होने के बाद वर्तमान में कोई भी पट्टे जारी नही किये जा रहे है। पूर्व में जोन द्वारा भूखण्ड सख्या 28, 66ए एवं 68 की लीजडीड जारी की गयी है। तत्कालिन समय में खसरा सुपर इम्पोज सही नही होने के कारण से जारी होना पाया जाता है। इन्टीग्रेटेड प्लान के अनुसार उक्त तीनों भूखण्ड खसरा नम्बर 118 में स्थित होना पाया जाता है जिसपर कोई स्थगन नही है।
3. खसरा नम्बर 108 व 117 का मौका देखा गया मौके पर वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत भूखण्डों पर सदस्यों के भौतिक कब्जा है। मौके पर रोड बन चुकी है। पानी–बिजली के कनेक्शन शुदा समिति सदस्य मकान बनाकर निवास कर रहे है।

   उक्त दोनों खसरों का स्वामित्व पूर्व में एवं वर्तमान में अपोलो को0हा0सो0लि0 का था जिनपर राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 7157/08 का नोट जमाबंदी में अंकित था। जिसका निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 25.02.2016 होने से जविप्रा द्वारा उक्त खसरा पर नियमन करने हेतु संशोधित जेडएलसी निर्णय दिनांक 19.01.2017 के तहत लिया जाकर उक्त खसरों से प्रभावित भूखण्डों का नियमन करने का नियमानुसार निर्णय लिया गया। किन्तु इस जेडएलसी के विरूद्व खातेदार के वारिसान द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण में एक वाद (रेफरेन्स) संख्या 52/2017 दायर कर पट्टो पर जविप्रा का जवाब आने तक रोक (स्थगन) है किन्तु भूमि स्वामित्व के आधार पर खातेदारों के वारिसानों द्वारा न्यायालय में जाना उचित प्रतित नही होता है। चूकि भूमि का स्वामित्व पूर्व में ही अपोलो को0हा0सो0 का है।
4. स्थगन के दौरान जिन भूखण्ड संख्या 28, 66ए एवं 68 के पट्टे जारी किये गये है जो इन्टीग्रेटेड खसरा सुपर प्लान के अनुसार जारी किया जाना प्रतित होता है। जो इन्टीग्रेटेड प्लान के अनुसार खसरा नम्बर 118 में दर्शित है। जिससे न्यायालय की अवमानना एवं व्यक्ति विशेष को फायदा पहुचाने की कार्यवाही प्रतित नही होती है।
5. वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 108 एवं 117 पर सर्जित भूखण्डों के पट्टे जारी नही कर रहा है। वाद संख्या 52/2017 में अग्रिम नियत तिथि 18.11.2019 है। न्यायालय निर्णय के अनुसार एवं सही खसरा सुपर इम्पोज की जांच कर उक्त खसरों से प्रभावित भूखण्डों के पट्टे जारी किया जाना प्रस्तावित है।
6. जारी भूखण्ड सख्या 28, 66ए, 68 की लीजडीड जारी सही हुई है अथवा नही की जांच की जा रही है। जांच उपरान्त (भौतिक परिक्षण, खसरा सुपर इम्पोज, इन्टीग्रेटेड प्लान आदि) के प्रकरण में कार्य किया जाना उचित होगा।

अमीन

TDR

F-W.D/SHEKHAWAT(ASPURA)

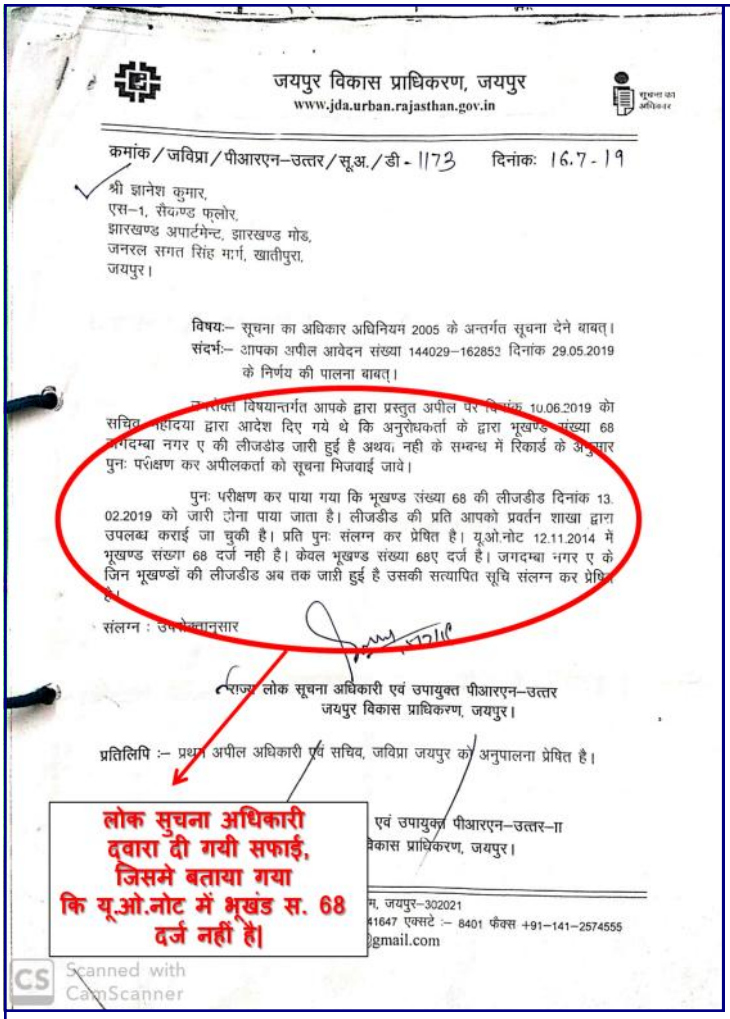

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सूचना का अधिकार

क्रमांक/जविप्रा/पीआरएन–उत्तर/सू.अ./डी-1173 दिनांक: 16.7.19

श्री ज्ञानेश कुमार,
एस–1, सैकण्ड फ्लोर,
झारखण्ड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड मोड,
जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा,
जयपुर।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने बाबत्।
संदर्भः– आपका अपील आवेदन संख्या 144029–162852 दिनांक 29.05.2019 के निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत अपील पर दिनांक 10.06.2019 को सचिव महोदया द्वारा आदेश दिए गये थे कि अनुरोधकर्ता के द्वारा भूखण्ड संख्या 68 जगदम्बा नगर ए की लीजडीड जारी हुई है अथवा नही के सम्बन्ध में रिकार्ड के अनुसार पुनः परीक्षण कर अपीलकर्ता को सूचना भिजवाई जावे।

पुनः परीक्षण कर पाया गया कि भूखण्ड संख्या 68 की लीजडीड दिनांक 13.02.2019 को जारी होना पाया जाता है। लीजडीड की प्रति आपको प्रवर्तन शाखा द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित है। यू.ओ.नोट 12.11.2014 में भूखण्ड संख्या 68 दर्ज नही है। केवल भूखण्ड संख्या 68ए दर्ज है। जगदम्बा नगर ए के जिन भूखण्डों की लीजडीड अब तक जारी हुई है उसकी सत्यापित सूचि संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त पीआरएन–उत्तर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :– प्रथम अपील अधिकारी एवं सचिव, जविप्रा जयपुर को अनुपालना प्रेषित है।

एवं उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
विकास प्राधिकरण, जयपुर।

म, जयपुर–302021
41647 एक्सटे :– 8401 फैक्स +91–141–2574555
@gmail.com

लोक सुचना अधिकारी द्वारा दी गयी सफाई, जिसमे बताया गया कि यू.ओ.नोट में भूखंड स. 68 दर्ज नहीं है|

Scanned with CamScanner

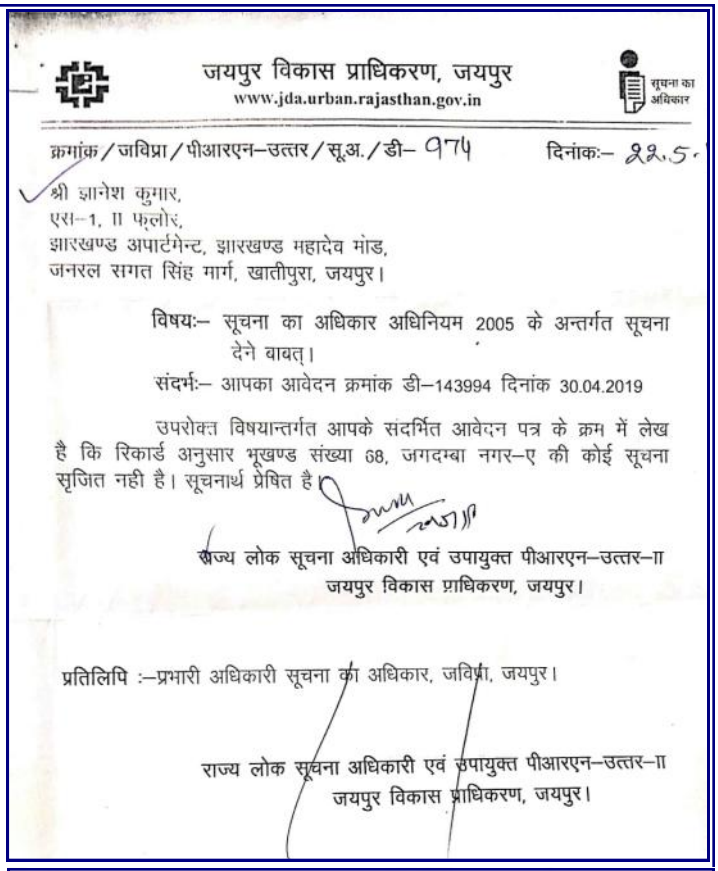

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सूचना का अधिकार

क्रमांक/जविप्रा/पीआरएन–उत्तर/सू.अ./डी– 974 दिनांकः– 22.5.

श्री ज्ञानेश कुमार,
एस–1, II फ्लोर,
झारखण्ड अपार्टमेन्ट, झारखण्ड महादेव मोड,
जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने बाबत्।
संदर्भः– आपका आवेदन क्रमांक डी–143994 दिनांक 30.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र के क्रम में लेख है कि रिकार्ड अनुसार भूखण्ड संख्या 68, जगदम्बा नगर–ए की कोई सूचना सृजित नही है। सूचनार्थ प्रेषित है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :–प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार, जविप्रा, जयपुर।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने बाबत्।
संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 01.05.2019 एवं पत्र क्रमांक डी–144029 दिनांक 01.05.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित आवेदन पत्र के क्रम में आप द्वारा चाही गयी सूचना बिन्दुवार प्रेषित है :–

1. पेज न. 1 का बिन्दु 1 – आपके द्वारा यू.ओ.नोट संख्या 1006 दिनांक 12.11.2014 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें जगदम्बा नगर ए के खसरा नम्बर 108 व 117 के उन भूखण्डों का उल्लेख है जिनका नियमन एच.टी.लाईन एवं राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश होने के कारण नही किया गया था। इन भूखण्डों के पट्टे आज तक जारी नही किये गये है जिसका कारण श्रीमती गुलाब देवी द्वारा माननीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से यथा स्थिति के आदेश लिए हुए है।

पूर्व में ज़ोन उपायुक्त पीआरएन उत्तर|| द्वारा इन स्टेशुदा जमीन पर पट्टे देने की बात पर बोले गए झूठ,गौरतलब है कि इन सभी दस्तावेजों पर तहसीलदार किशन लाल मीणा के हस्ताक्षर है|

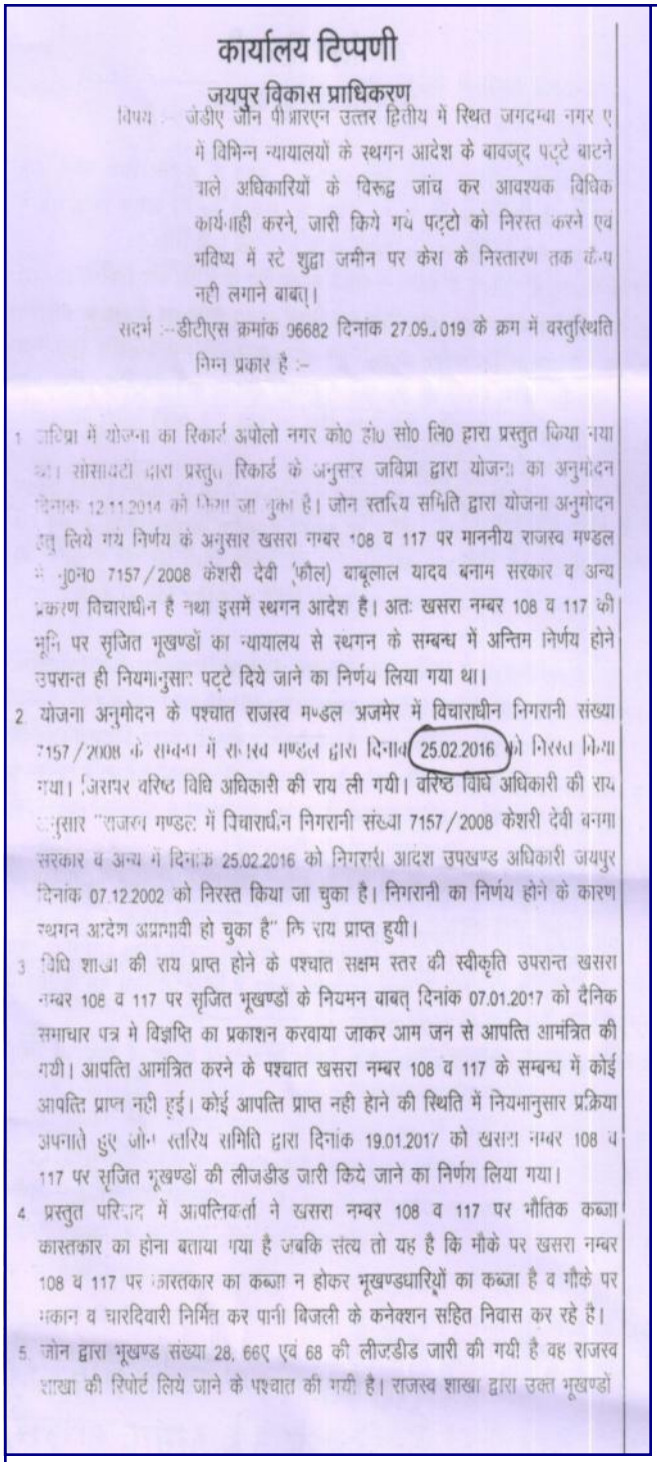

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

विषय :- जेडीए जौन पीआरएन उत्तर द्वितीय में स्थित जगदम्बा नगर ए में विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश के बावजूद पट्टे बाटने वाले अधिकारियों के विरूद्व जांच कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने, जारी किये गये पट्टो को निरस्त करने एवं भविष्य में स्टे शुद्वा जमीन पर केस के निस्तारण तक कैम्प नही लगाने बाबत्।

सदर्भ :--डीटीएस क्रमांक 96682 दिनांक 27.09.2019 के क्रम में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. जविप्रा में योजना का रिकार्ड अपोलो नगर को0 हा0 सो0 लि0 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सोसायटी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार जविप्रा द्वारा योजना का अनुमोदन दिनांक 12.11.2014 को किया जा चुका है। जोन स्तरिय समिति द्वारा योजना अनुमोदन हेतु लिये गये निर्णय के अनुसार खसरा नम्बर 108 व 117 पर माननीय राजस्व मण्डल में नि0 7157/2008 केशरी देवी (फौत) बाबूलाल यादव बनाम सरकार व अन्य प्रकरण विचाराधीन है तथा इसमें स्थगन आदेश है। अतः खसरा नम्बर 108 व 117 की भूमि पर सृजित भूखण्डों का न्यायालय से स्थगन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने उपरान्त ही नियमानुसार पट्टे दिये जाने का निर्णय लिया गया था।
2. योजना अनुमोदन के पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी संख्या 7157/2008 के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 25.02.2016 को निरस्त किया गया। जिसपर वरिष्ठ विधि अधिकारी की राय ली गयी। वरिष्ठ विधि अधिकारी की राय अनुसार "राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी संख्या 7157/2008 केशरी देवी बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 25.02.2016 को निगरानी आदेश उपखण्ड अधिकारी जयपुर दिनांक 07.12.2002 को निरस्त किया जा चुका है। निगरानी का निर्णय होने के कारण स्थगन आदेश अप्रभावी हो चुका है" कि राय प्राप्त हुयी।
3. विधि शाखा की राय प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर की स्वीकृति उपरान्त खसरा नम्बर 108 व 117 पर सृजित भूखण्डों के नियमन बाबत् दिनांक 07.01.2017 को दैनिक समाचार पत्र मे विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाकर आम जन से आपत्ति आमंत्रित की गयी। आपत्ति आमंत्रित करने के पश्चात खसरा नम्बर 108 व 117 के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। कोई आपत्ति प्राप्त नही होने की स्थिति में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जोन स्तरिय समिति द्वारा दिनांक 19.01.2017 को खसरा नम्बर 108 व 117 पर सृजित भूखण्डों की लीजडीड जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. प्रस्तुत परिवाद में आपत्तिकर्ता ने खसरा नम्बर 108 व 117 पर भौतिक कब्जा काश्तकार का होना बताया गया है जबकि सत्य तो यह है कि मौके पर खसरा नम्बर 108 व 117 पर काश्तकार का कब्जा न होकर भूखण्डधारियों का कब्जा है व मौके पर मकान व चारदिवारी निर्मित कर पानी बिजली के कनेक्शन सहित निवास कर रहे है।
5. जोन द्वारा भूखण्ड संख्या 28, 66ए एवं 68 की लीजडीड जारी की गयी है वह राजस्व शाखा की रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात की गयी है। राजस्व शाखा द्वारा उक्त भूखण्डो

कार्यालय टिप्पणी

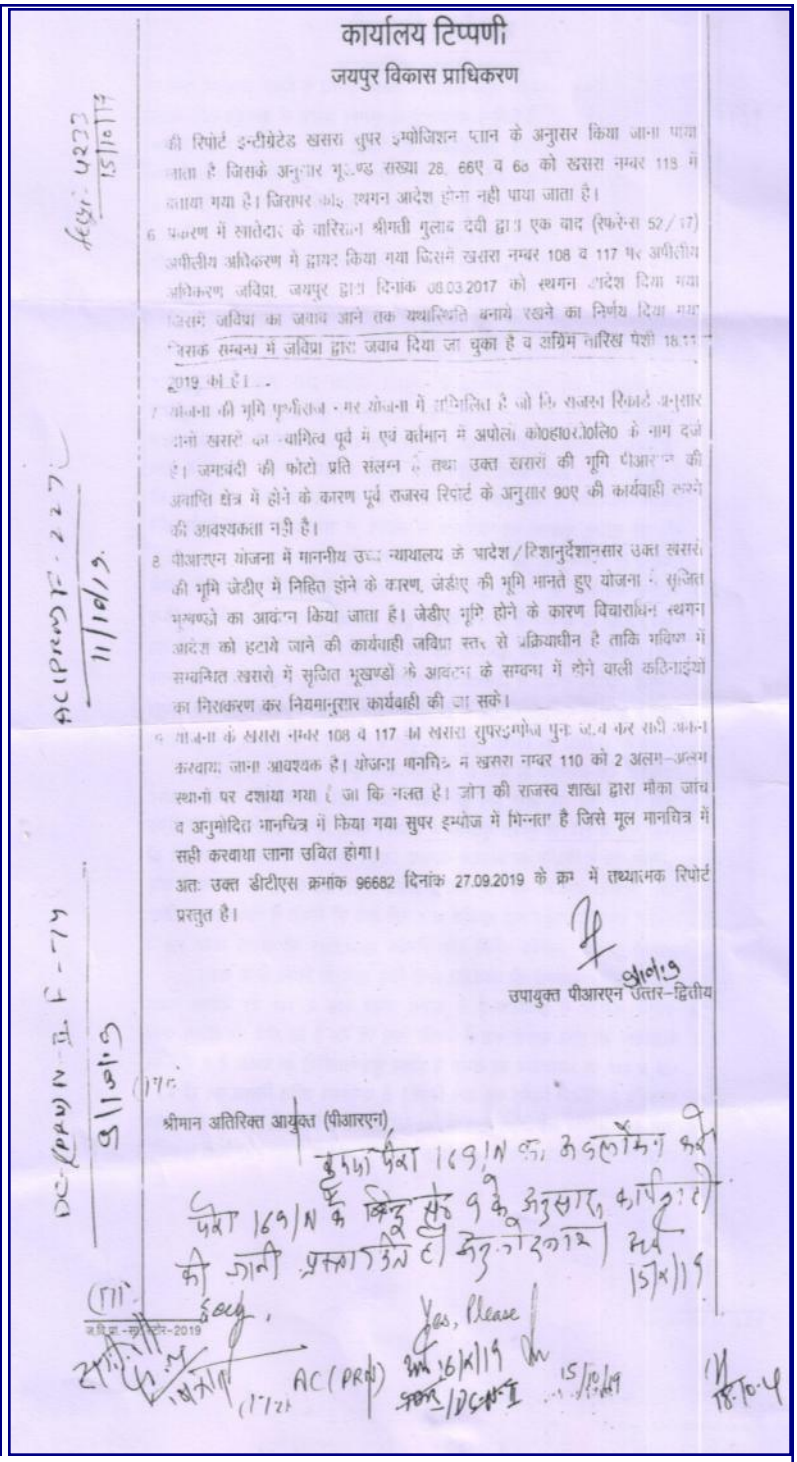

जयपुर विकास प्राधिकरण

की रिपोर्ट इन्टीग्रेटेड खसरा सुपर इम्पोजिशन प्लान के अनुसार किया जाना पाया जाता है जिसके अनुसार भूखण्ड संख्या 28, 66ए व 68 को खसरा नम्बर 118 में बताया गया है। जिसपर कोई स्थगन आदेश होना नही पाया जाता है।

6. प्रकरण में खातेदार के वारिसान श्रीमती गुलाब देवी द्वारा एक वाद (रेफरेन्स 52/17) अपीलीय अधिकरण मे दायर किया गया जिसमें खसरा नम्बर 108 व 117 पर अपीलीय अधिकरण जविप्रा, जयपुर द्वारा दिनांक 08.03.2017 को स्थगन आदेश दिया गया जिसमें जविप्रा का जवाब आने तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय दिया गया जिसके सम्बन्ध में जविप्रा द्वारा जवाब दिया जा चुका है व अग्रिम तारिख पेशी 18.11.2019 को है।
7. योजना की भूमि पृथ्वीराज नगर योजना में सम्मिलित है जो कि राजस्व रिकार्ड अनुसार दोनों खसरों का स्वामित्व पूर्व में एवं वर्तमान में अपोलो को0हा0स0लि0 के नाम दर्ज है। जमाबंदी की फोटो प्रति संलग्न है तथा उक्त खसरों की भूमि पीआरएन की अवाप्ति क्षेत्र में होने के कारण पूर्व राजस्व रिपोर्ट के अनुसार 90ए की कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है।
8. पीआरएन योजना में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/दिशानुर्देशानुसार उक्त खसरों की भूमि जेडीए में निहित होने के कारण, जेडीए की भूमि मानते हुए योजना में सृजित भूखण्डो का आवंटन किया जाता है। जेडीए भूमि होने के कारण विचाराधिन स्थगन आदेश को हटाये जाने की कार्यवाही जविप्रा स्तर से प्रक्रियाधीन है ताकि भविष्य में सम्बन्धित खसरो में सृजित भूखण्डो के आवंटन के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाईयों का निराकरण कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
9. योजना के खसरा नम्बर 108 व 117 का खसरा सुपरइम्पोज पुनः जांच कर सही अंकन करवाया जाना आवश्यक है। योजना मानचित्र में खसरा नम्बर 110 को 2 अलग–अलग स्थानों पर दर्शाया गया है जो कि गलत है। जोन की राजस्व शाखा द्वारा मौका जांच व अनुमोदित मानचित्र में किया गया सुपर इम्पोज में भिन्नता है जिसे मूल मानचित्र में सही करवाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त डीटीएस क्रमांक 96682 दिनांक 27.09.2019 के क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत है।

उपायुक्त पीआरएन उत्तर–द्वितीय

श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन),

Yes, Please

AC (PRN)

उपायुक्त पीआरएन उत्तर-|| द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

जांच पर सवाल?

राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन निगरानी संख्या 7157/2008 के सम्बन्ध में राजस्व मंडल का निर्णय दिनांक 25/02/2016 किसके पक्ष में?

राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन निगरानी संख्या 7157/2008 के सम्बन्ध में राजस्व मंडल का दिनांक 25/02/2016 को पारित निर्णय पक्षकार स्व.केसरी देवी एवं अन्य के पक्ष में हुआ था इस निर्णय द्वारा राजस्व मंडल ने अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की दलीले खारिज करते हुए ,1993 में पारित डिक्री,जो कि श्रीमति केसरी देवी को काश्तकार और हिस्सेदार घोषित करती है,को बहाल कर यथावत रखा था|परन्तु जे.डी.ए. के विद्वान् अधिकारीयों ने इसे अपोलो के पक्ष में मानकर कैम्प लगाने की घोषणा कर दी,जिसे काश्तकार के विरोध और फैसले की वास्तविकता समझाने पर वापस लेना पड़ा था|सवाल है है कि डिक्री के अनुसार इन दोनों खसरों का मालिकाना हक श्रीमति केसरी देवी और अन्य का है तो जे.डी.ए. कैसे अपोलो की जमीन मानकर उसकी योजना के अनुसार पट्टे और अन्य आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने का काम कर सकता है?परन्तु जे.डी.ए. के अधिकारी इतने पर ही नहीं रुक रहे और अपनी झूठी दलीलों से अपने अधिकारीयों को गुमराह और कर रहे है|

स्कीम की ZLC सही थी या गलत?

अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जगदम्बा नगर के भूखंडों के नियमन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर इस योजना की ZLC (ज़ोन स्तरीय समिति) की बैठक आयोजित की गयी जिसमे खसरा संख्या 108 और 117 के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल के मु.स. 7157/2008 केसरी देवी(फौल)बाबू लाल यादव बनाम सरकार व अन्य प्रकरण विचाराधीन होने व स्थगन आदेश होने से इन खसरों की भूमि पर सृजित भूखंडों पर न्यायालय के निर्णयोंपरांत ही पट्टे देने का निर्णय लिया गया था|इसी ZLC के आधार पर इन खसरों से प्रभावित भूखंडों की सूची भी जारी की गयी थी|जिसमे भूखंड संख्या 28,66ए और 68 भी मौजूद है|परन्तु इस तथ्य को नकारते हुए ज़ोन के अधिकारियों ने भूखंडों के पट्टे जारी कर दिए|

अपोलो के पदाधिकारी ने झूठा दिया हलफनामा

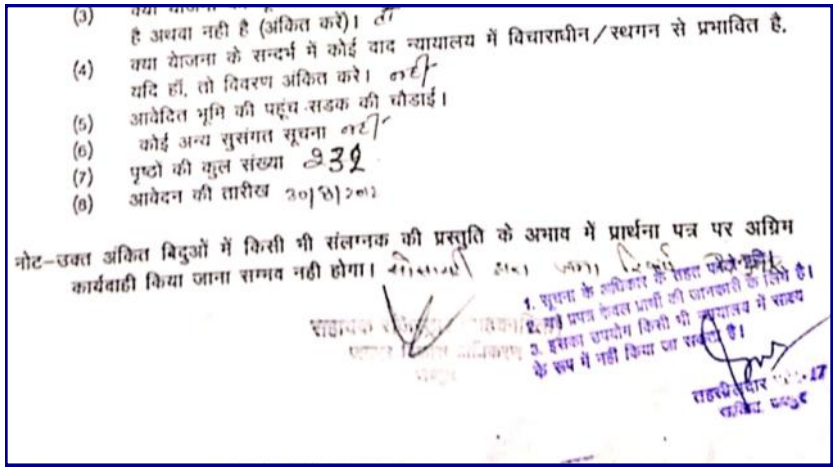

(3) ... है अथवा नही है (अंकित करें)। हाँ
(4) क्या योजना के सन्दर्भ में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन/स्थगन से प्रभावित है. यदि हाँ, तो विवरण अंकित करे। नहीं
(5) आवेदित भूमि की पहुंच सडक की चौडाई।
(6) कोई अन्य सुसंगत सूचना नहीं
(7) पृष्ठो की कुल संख्या 232
(8) आवेदन की तारीख 30/8/2012

नोट–उक्त अंकित बिदुओं में किसी भी संलग्नक की प्रस्तुति के अभाव में प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होगा।

1. सूचना के अधिकार के तहत प्रदत्त प्रति है।
2. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
3. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

जब अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जगदम्बा नगर स्कीम का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया उस समय उसके द्वारा एक झूठा हलफनामा दिया गया कि इस स्कीम की जमीन को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है|जबकि इस स्कीम की जमीन को लेकर कई प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है|परन्तु जे.डी.ए. के अधिकारी इस बात पर गौर करने की बजाय इस जमीन को अपोलो की मानते हुए ही अपनी सभी दलीले और जवाब पेश कर सबकी आँखों में धुल झोंक रहे है|

भूखंड संख्या 28,66ए और 68 कैसे खसरा संख्या 117 से उछल कर 118 में आ गए?

तहसीलदार और अमीन की रिपोर्ट में बताया गया है कि भूखंड संख्या 28,66ए और 68 खसरा संख्या 117 में नहीं होकर खसरा संख्या 118 में स्थित है|जबकि जे.डी.ए. के अनुमोदित नक़्शे में साफ़ है कि तीनों भूखंड खसरा संख्या 117 के बीच में स्थित है,जिन्हें जे.डी.ए. के भ्रष्ट अधिकारी खसरा संख्या 118 में बता रहे है|इतना ही नहीं जे.डी.ए. के आला अधिकारी भी भ्रष्ट कार्मिकों के इन तर्कों से सहमत होते नजर आ रहे है|

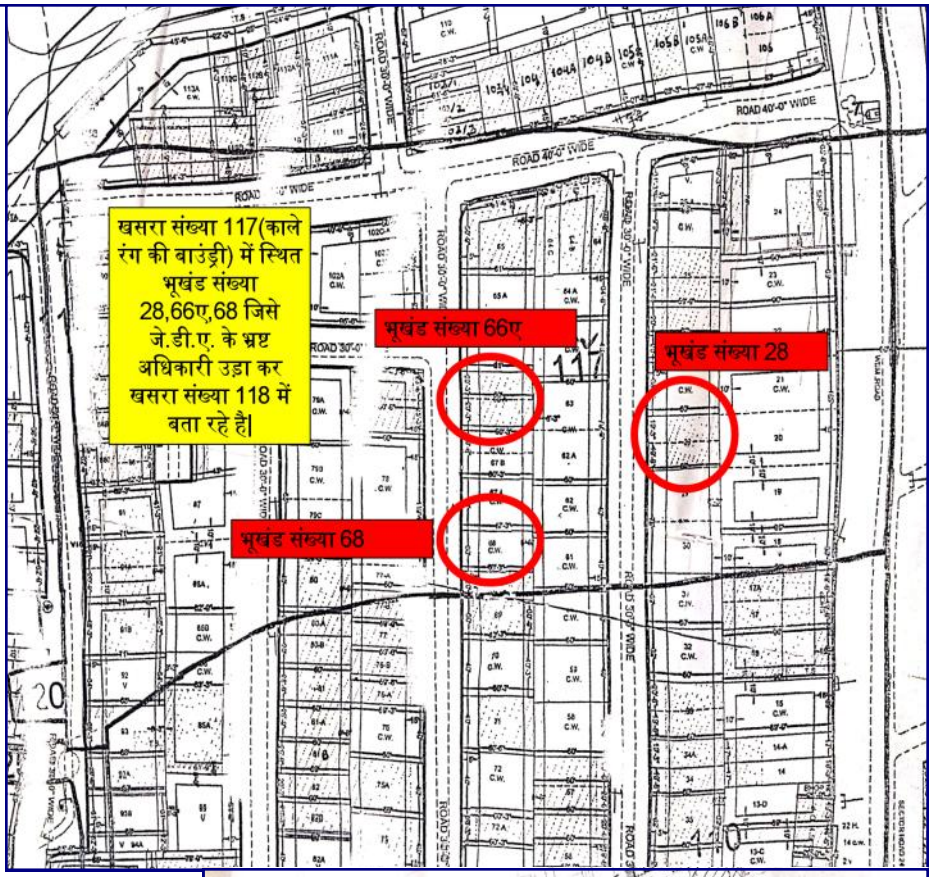

जे.डी.ए. के अधिकारियों से खसरा संख्या 118 के बारे में पूछों तो कहते है वो तो है ही नहीं तो आखिर कहाँ गया खसरा संख्या 118 और किस आधार पर भ्रष्ट अधिकारी बता रहे है तीनों भूखंडों को इस खसरे में?

एक क्लेरिकल मिस्टेक के चलते 117से सटे खसरा संख्या 118 की जगह 110 लिखने में आ गया|जिसको ढाल बना कर जे.डी.ए. के अधिकारी तर्क दे रहे है कि खसरा संख्या 118 तो है ही नहीं|सवाल यह उठता है कि जब जे.डी.ए. अधिकारियों को 118 और 110 में कन्फ्यूजन है तो किस आधार पर वह यह तर्क दे रहे है कि तीनों विवादित भूखंड(28,66ए,68) 118 में है|

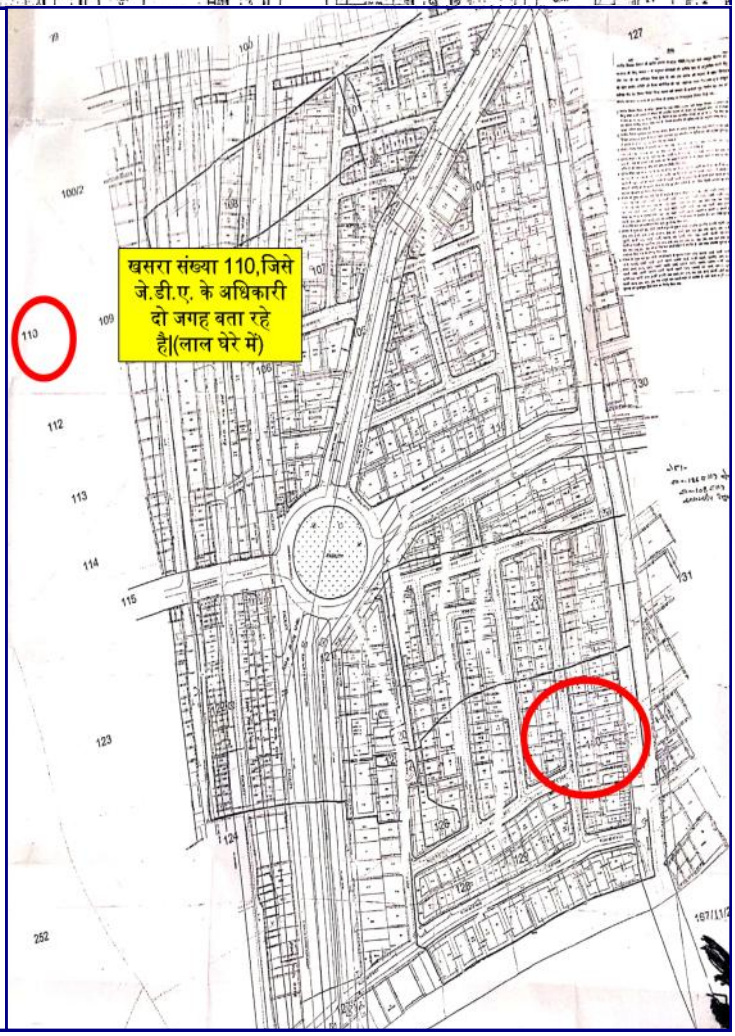

सुपरइम्पोज नक़्शे में 110 को दो जगह(118 की जगह) बताया गया इसका दोषी कौन और इसका इस मामले से क्या लेना-देना?

वर्ष 2014 में इस योजना की ZLC के पश्च्यात अनुमोदित नक़्शे जारी किये गए थे|लेकिन आज तक क्यों जे.डी.ए. के जिम्मेदार

अधिकारियों की नजर इस बात पर नहीं पड़ी कि नक़्शे में खसरा संख्या 118 को 110 लिखा गया है|यह मामला सामने आने पर वह इस क्लेरिकल मिस्टेक को ढाल बना कर (गलती को सही करने की फाईल चला कर),मामले को लम्बा खीचना चाहते है|

स्टेशुदा जमीन पर बसावट को आधार बना रहे जिम्मेदार|क्या वह अवैध निर्माण को बढ़ावा नहीं दे रहे?

स्टेशुदा जमीन पर 80% बसावट की बात कह कर जे.डी.ए. अधिकारी स्वयं अवैध निर्माणों को बढ़ावा देकर स्टे की अवमानना कर रहे है,जो कि गैरकानूनी है|

स्टेशुदा जमीन पर जे.डी.ए.खुद पट्टे बाँट कर करवा रहा अवैध कब्जे|सोसाईटी के पट्टों पर बने अवैध निर्माणों और सरकारी सड़क बनाने का दोषी कौन?

जे.डी.ए. के भ्रष्ट अधिकारियों की हिमाकत तो देखिये,पहले तो खुद ही अवैध रूप से पट्टे बाँट कर अवैध निर्माणों को शह दे रहे है|फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए तर्क दे रहे है कि "मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 108 और 117 की 80% भूखंडों पर सदस्यों के भौतिक कब्जे है|मौके पर रोड बन चुकी है|पानी बिजली के कनेक्शन शुदा समिति सदस्य मकान बनाकर निवास कर रहे है| " सवाल यह उठता है कि आखिर स्टे के बावजूद कैसे सड़के बन गयी? कैसे लाख शिकायतों के बावजूद सोसाईटी के सदस्यों ने मकान बना लिए?

स्टेशुदा जमीन के भूखंडों पर कैसे जारी हुए बिजली पानी के कनेक्शन?क्यूंकि पृथ्वीराज नगर में बिजली पानी के कनेक्शन के लिए जे.डी.ए. की noc जरुरी|

जे.डी.ए. की रिपोर्ट के अनुसार इन स्टेशुदा खसरों पर स्थित 80% भूखंडधारियों के पास पानी-बिजली के कनेक्शन है जबकि नियमों/कोर्ट के आदेशों के अनुसार पृथ्वीराज नगर में बिजली-पानी के कनेक्शन के लिए जे.डी.ए. की NOC आवश्यक होती है|सवाल यह उठता है कि इन स्टेशुदा जमीन पर किन किन भूखंडधारियों ने कबसे बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे है और किन अधिकारियों ने मिलीभगत करके फर्जी NOC जारी की है?

कलई खुलने के डर से हमेशा झूठ बोलकर गुमराह करते रहे है पीआरएन ज़ोन उत्तर-|| के भ्रष्ट अधिकारी|

जे.डी.ए. में भ्रष्टाचार इस कदर है कि यहाँ आप पैसा फेंक कर कोई भी अवैध काम आसानी से करवा सकते है,ज़ोन के कर्मचारियों ने स्थानीय भूमाफियाओं के साथ सांठ गाँठ कर इन स्टेशुदा खसरों की जमीन पर पट्टे बाँट दिए,फिर सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर स्पष्ट ही मुकर गए कि उनके द्वारा इन स्टेशुदा खसरों पर कोई पट्टे भी दिए गए है|इस बात का खुलासा सचिव अर्चना सिंह के सामने होने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि पट्टे तो बांटे गए है परन्तु भूखंड संख्या 68 को नहीं दिया गया है|अब जब सारे पत्ते खुल चुके है तो अब कह रहे है कि विवादित पट्टे खसरा संख्या 118 में है|यही नहीं उनके द्वारा अपने तर्कों से अतिरिक्त आयुक्त श्री अवधेश सिंह,जे.डी.ए. सचिव श्रीमति अर्चना सिंह को भी सहमत कर लिया है|जिससे भविष्य में जांच होने पर इसी रिपोर्ट को सब जगह घुमा दी जायेगी|जबकि वास्तविकता बिलकुल अलग है,खसरा संख्या 108 एवं 117 की कुल भूमि में से 10 बीघा 16 बिस्वा का मालिकाना हक एवं कब्जा डिक्रीदार स्व श्रीमति केसरी देवी,श्रीमति गुलाब देवी एवं श्रीमति हीरा देवी के पास है और आज दिन तक सन 1993 में पारित डिक्री यथावत है|अपोलो द्वारा अपने स्वामित्व सम्बंधित प्रस्तुत दस्तावेज जमीन की विक्रय रजिस्ट्री का 1995 में निष्पादन हुआ है जो डिक्री पारित होने के दो साल बाद की है|इससे सिद्ध होता है कि अपोलो द्वारा जानबुझकर जे.डी.ए. को गुमराह किया गया है|

फर्जी पट्टे जारी करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री लक्ष्मी नारायण बुनकर	उपायुक्त
2.	श्री किशन लाल मीणा	तहसीलदार(से.नि.)
3.	श्री दीपेन्द्र कुमार	अरबन प्लानर(संविदा)
4.	श्री गजेन्द्र सिंह	क. अभियंता
5.	श्री शीशराम यादव	सहकारिता निरीक्षक
6.	श्री भीमा राम	क. सहायक
7.	श्री पुरण मीणा	क. सहायक
8.	श्री रामेश्वर पारिक	सहकारिता लिपिक(से.नि.)

दूषित जांच करने और उस पर सहमति देने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री बी.एल. मेहरा	अमीन(से.नि.)
2.	श्री किशन लाल मीणा	तहसीलदार(से.नि.)
3.	श्री बलवंत सिंह लिग्री	उपायुक्त(पीआरएन उत्तर-II)
4.	श्री अवधेश सिंह	अति. उपायुक्त(पीआरएन)
5.	श्रीमति अर्चना सिंह	सचिव,जे.डी.ए.

वर्तमान स्थिति|

वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष दर्ज अपील संख्या 182/2016 विचाराधीन है|यह अपील अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा राजस्व मंडल अजमेर के दिनांक 25/02/2016 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है|वर्ष 2019 में जयपुर महानगर ADJ 15 ने इसी मामले से सम्बंधित एक FIR के फैसले में जगदम्बा नगर योजना के परिपेक्ष्य में हुई रजिस्ट्रियों का सन 1995 में होना पाया है|